'आवेदनों का रिजैक्शन रेट कम हो व पब्लिक सैटिस्फैक्शन रेट में सुधार करें: टी.सी. गुप्ता'

- राइट टू सर्विस कमिशन के चीफ कमिश्नर ने अधिसूचित सेवाओं व योजनाओं का लाभ आम जनता को देने के दिए निर्देश

पानीपत, 10 सितम्बर (ब्यूरो): हरियाणा के राइट टू सर्विस कमिशन के चीफ कमिश्नर टी.सी. गुप्ता ने शुक्रवार को पानीपत के आर्य कालेज के सभागार में एक्ट से संबंधित समीक्षा बैठक कर लोगों से सीधा संवाद किया और कहा कि राइट टू सर्विस कमिशन का यही उद्देश्य है कि आमजन के रोजमर्रा के काम समयबद्ध तरीके से लोगों की संतुष्टि के साथ हों। आवेदनों का रिजैक्शन रेट कम हो और पब्लिक सैटिस्फैक्शन रेट में सुधार हो। उन्होंने कहा कि सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट में नोटिफाइड हैं जिसमें हर सेवा प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समयावधि में ही ये सेवाएं आम जनता को देनी हैं।

टी.सी. गुप्ता एक्ट से संबंधित समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए, साथ हैं मंडलायुक्त संजीव वर्मा व डी.सी. सुशील सारवान।

बैठक में मंडलायुक्त संजीव वर्मा, मेयर अवनीत कौर, डी.सी. सुशील सारवान, निगमायुक्त आर.के. सिंह, ए.एस.पी. पूजा वशिष्ठ, सी.जे.एम. एवं सचिव डी.एल.एस.ए. अनित शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता, ए.डी.सी. वीना हुड्डा के अलावा विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और एमिनेंट सिटीजन, एन.जी.ओ., निगम पार्षद, रैजीडैंट वैल्फेयर एसोसिएशनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि आयोग की स्थापना सन् 2014 में हुई थी और पिछले 8 सालों में अब तक आयोग के पास उन आवेदकों की केवल 7 अपील आई हैं जिनके आवेदनों पर निर्धारित समयावधि में काम नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि उन्हें चीफ कमिश्नर का कार्यभार संभाले 3 महीने भी नहीं हुए हैं और इस थोड़ी-सी अवधि में उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों ऑटोमेटिड अपील सॉफ्टवेयर (आस) की शुरूआत करवाई है जिसमें व्यक्ति के आवेदन पर निर्धारित अवधि में काम नहीं होने पर अपने आप उच्चाधिकारी के पास अपील चली जाएगी।

3 पैनल्टी लग गईं तो आयोग उसे नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश करेगा

सेवाएं प्रदान करने में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर 20 हजार रुपए तक जुर्माना करने की शक्तियां प्राप्त हैं, जो उसे अपने वेतन से भरना होगा और जिस भी अधिकारी या कर्मचारी पर 3 पैनल्टियां लग गईं तो आयोग उसे नौकरी से बर्खास्त करने की सरकार से सिफारिश करेगा। यही नहीं, पीड़ित आवेदक को भी आयोग 5 हजार रुपए तक का मुआवजा देने के लिए दे सकता है। इसके साथ टी.सी. गुप्ता ने यह भी कहा कि आयोग के फैसले के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में ही हो सकती है।

एक्ट से संबंधित समीक्षा बैठक में उपस्थित जिले के अधिकारी व कर्मचारी।

उदाहरण देकर समझाया किस प्रकार काम करेगा आयोग

यदि शहर में बिजली चली जाए तो 4 घंटे में उसकी आपूर्ति बहाल होनी चाहिए। इसी प्रकार कचरा उठाने का समय भी निर्धारित है, यदि शिकायत करने के बाद उस अवधि में कचरा नहीं उठता है और उसकी शिकायत आयोग को आती है तो आयोग चीफ सैनेटरी इंस्पैक्टर पर 20 हजार रुपए जुर्माना कर सकता है। इसी प्रकार यदि सरकारी स्कीमों जैसे लाडली योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आदि का लाभ समय पर नहीं दिए जाने पर भी संबंधित अधिकारी पर पैनल्टी लगाई जा सकती है।

लोगों को मिलेगी राहत: मंडलायुक्त संजीव वर्मा

मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने जिला प्रशासन और करनाल मंडल की ओर से राइट टू सर्विस कमिशन के चीफ कमिश्नर टी.सी. गुप्ता का स्वागत करते हुए उन्हें इस सॉफ्टवेयर के लिए बधाई दी और कहा कि यह आम के साथ विश्वास भी लोगों में पैदा करेगा। संजीव वर्मा ने कहा कि टी.सी. गुप्ता एक बहुत ही बेहतरीन अधिकारी हैं जो शुरू से ही नित नए-नए प्रयोग करते रहे हैं। राइट टू सर्विस कमिशन में इनके आने से बल मिलेगा और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में पानीपत के प्रसिद्ध कवि और शायर रमेश चन्द्र पुहाल ने टी.सी. गुप्ता और मंडलायुक्त संजीव वर्मा को पुस्तकों का सैट भी भेंट किया।

आयोग के सामने इन्होंने रखीं समस्याएं

समालखा वासी जगदीश रमन ने एक ही व्यक्ति के नाम 2-2 बिजली के बिलों के मैसेज मोबाइल पर प्राप्त होने से संबंधित समस्याओं को भी रखा। इसके साथ-साथ मनोहर लाल बतरा ने प्रॉपर्टी आई.डी. से संबंधित, एडवोकेट सुशील शर्मा ने विभिन्न प्रमाण पत्रों के रिजैक्शन से संबंधित, अनिल मदान ने बिजली विभाग से संबंधित, सैक्टर-11 वासी सतीश कुमार ने सीवरेज, समालखा वासी सुनील शर्मा ने नगर पालिका से संबंधित, सैक्टर-29 इंडस्ट्री एरिया से श्री भगवान अग्रवाल ने स्ट्रीट लाइट से संबंधित, सैक्टर-12 वासी ताराचंद ने जाति प्रमाण पत्र, एल्डिको वासी संजय ओबराय ने एन.एच.ए.आई. की लाइट और बलजीत सिंह ने स्ट्रीट लाइट से संबंधित समस्याओं को रखा।

इसी प्रकार भाजपा अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने बुढ़ापा पैंशन और इसमें उपयोग होने वाले मैडीकल सर्टीफिकेट से संबंधित समस्याओं को रखा। डिप्टी मेयर रविन्द्र कुमार ने विभिन्न प्रमाण पत्रों और अन्य समस्याओं को रखा जिस पर राइट टू सर्विस कमिशन के चीफ कमिश्नर टी.सी. गुप्ता ने उन्हें आश्वस्त किया कि इन समस्याओं पर गौर किया जाएगा।